**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1235**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत बिहार के लिए निधि**

**1235. श्री राम कृपाल यादव:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के अंतर्गत बिहार के लिए वर्ष-वार कितनी राशि आवंटित तथा जारी की गई है; और

(ख) : क्या राज्य सरकार ने उन्हें जारी की गई राशि को खर्च कर लिया है अथवा खर्च न की गई राशि शेष है; यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) और (ख): समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्‍कीम के अन्‍तर्गत निधियां राज्‍यवार आबंटित नहीं की जाती हैं । आईसीडीएस स्‍कीम के लिए आबंटित निधियां राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को लागत मानदंडों तथा आईसीडीएस (सामान्‍य) और आईसीडीएस (प्रशिक्षण) के अन्‍तर्गत पृथक रूप से चार अथवा अधिक उपयुक्‍त किश्‍तों में उनके द्वारा सूचित किए गए व्‍यय के आधार पर 90:10 की लागत हिस्‍सेदारी अनुपात में तथा पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) के लिए 50:50 के लागत हिस्‍सेदारी अनुपात में निर्मुक्‍त की जाती हैं। वर्षवार निर्मुक्‍त की गई वर्षवार निधियां तथा राज्‍य सरकार द्वारा सूचित किया गया व्‍यय नीचे दर्शाया गया है :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वर्ष  | निर्मुक्‍ति की गई कुल निधियां  | सूचित किया गया कुल व्‍यय जिसमें राज्‍य का हिस्‍सा भी शामिल है  |
| 2010-11 |  73521.14 |  86703.17 |
| 2011-12 |  81909.11 | 121393.31 |
| 2012-13 | 107957.00 | 157647.59 |

चूंकि आईसीडीएस एक अनवरत केन्‍द्रीय प्रायोजित स्‍कीम है इसलिए वित्‍तीय वर्ष के अन्‍त में व्‍यय विवरण (एसओई) में सूचित किए किसी अप्रयुक्‍त शेष अथवा अधिक व्‍यय को बाद के वित्‍तीय वर्ष में निधियों की निर्मुक्‍त करने के समय समायोजित कर दिया जाता है ।

\*\*\*\*\*